



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062021-227905
CG-DL-E-26062021-227905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2363]
No. 2363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

का.आ. 2545(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम (एनडीडीवी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा वर्तमान पदधारी सुश्री वर्षा जोशी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति पर, श्री मीनेश सी. शाह, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, को 01.06.2021 से 06 महीनों तक अथवा अध्यक्ष पद पर नियमित पदधारी की तैनाती होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 4418 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 में संशोधन करती है।

[फा. सं. एम-03018/3/2020-प्रशा.-4-भाग(1)]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का.आ. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसके तत्पश्चात् का.आ. 132 (अ) दिनांक 31.3.95, का.आ. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का.आ. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का.आ. 386(अ) दिनांक 3.6.96, का.आ. 605(अ) दिनांक 2.8.96, का.आ. 678(अ) दिनांक 12.8.96, का.आ. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का.आ. 836(अ) दिनांक 8.12.97, का.आ. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का.आ. 1005(अ)

दिनांक 26.11.98, का.आ. 1202(अ) दिनांक 14.10.2003, का.आ. 2279(अ) दिनांक 25.9.2008, का.आ. 362(अ) दिनांक 06.02.2014, का.आ. 412(अ) दिनांक 11.02.2014, का.आ. 2582(अ) दिनांक 29.07.2016, का.आ. 3589(अ) दिनांक 30.11.2016, का.आ. 5949(अ), दिनांक 03.12.2018 और का.आ. 1140(अ), दिनांक 06 मार्च, 2019 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry & Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2021

S.O. 2545(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) and (3) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby entrusts additional charge of the post of Chairman, National Dairy Development Board to Shri Meenesh C. Shah, Executive Director, National Dairy Development Board for a period of 06 months w.e.f 01.06.2021, or till the regular appointment to the post or until further orders, whichever is earliest, on completion of the tenure for entrustment of the additional charge of the present incumbent Ms. Varsha Joshi, IAS(AGMUT:1995), Joint Secretary(DD), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, and for that purpose makes the amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry & Dairying) S.O. 4418 (E) dated 04.12.2020.

[F. No. M-03018/3/2020-Admin-4-Part(1)]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 210(E) dated 4th March, 1994 and subsequently amended vide S.O. 132 (E) dated 31.3.95, S.O. 532(E) dated 6.6.95, S.O. 166(E) dated 3.3.96, S.O. 386(E) dated 3.6.96, S.O. 605(E) dated 2.8.96, S.O. 678(E) dated 12.8.96, S.O. 750(E) dated 13.10.97, S.O. 836(E) dated 8.12.97, S.O. 738(E) dated 28.8.98, S.O. 1005(E) dated 26.11.98, S.O. 1202 (E) dated 14.10.2003, S.O. 2279(E) dated 25.9.2008, S.O. 362(E) dated 06.02.2014, S.O.412(E) dated 11.02.2014, S.O. 2582(E) dated 29.07.2016, S.O.3589(E) dated 30.11.2016, S.O. 5949(E) dated 03.12.2018 and S.O. 1140(E) dated 06th March, 2019 and S.O. 4418(E) dated 04.12.2020.